न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
40/2015/प्रा.पत्र/2015	20.04.2015	25.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेश कुमार साहू पुत्र श्री गोपाल लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू टी स्टॉल एंव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक निवासी तमोलियो का मौहल्ला उनियारा जिला टोक राज0

2– मैसर्स साहू टी स्टॉल एंव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाघ सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ. एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 25.08.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2014 को समय 12.31 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स साहू टी स्टॉल एंव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से सुरेश कुमार साहू पुत्र श्री गोपाल लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू टी स्टॉल एंव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक निवासी तमोलियो का मौहल्ला उनियारा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु गोदाम मे मावा निर्मित मिठाई (Khoya based sweet) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विकता श्री सुरेश कुमार साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सुरेश कुमार साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा गोदाम मे रखी 30 ट्रै मे लगभग 6–7 किलोग्राम **मावा निर्मित मिठाई** (Khoya based sweet) रखे हुये मे से एक ट्रै जिसमे लगभग 6.00 किलोग्राम मिठाई मे से 2.00 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता. श्री सुरेश कुमार साहू को रू0 320/–अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मावा निर्मित मिठाई** (Khoya based sweet) 2 किलोग्राम को चार खाली साफ एंव सूखी चोडे मुँह के कांच के जार मे बराबर–बराबर 500–500 ग्राम तुलवाकर भरा एंव प्रत्येक कॉच के जार मे 40–40 बूँद 40 प्रतिशत विलयन वाली फामैलीन बतोर परिरक्षक डाली एंव प्रत्येक जार को एयरटाईट ढक्कन बंद किया एंव प्रत्येक जार को हिला मिलाकर पुनः एकरूप कर नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–819 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–819 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. सुरेश कुमार साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2014/31 दिनांक 10.12.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/533/एक्ट/2014/541 दिनांक 19.11.2014 अनुसार सुरेश कुमार साहू से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मावा निर्मित मिठाई** (Khoya based sweet) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **मावा निर्मित मिठाई** (Khoya based sweet) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा निर्मित मिठाई (Khoya based sweet) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा निर्मित मिठाई** (Khoya based sweet) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार साहू पुत्र श्री गोपाल लाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू टी स्टॉल एंव मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक निवासी तमोलियो का मौहल्ला उनियारा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 21,000 (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

25-8-...

(मुरारी लाल शर्मा)

न्याय[illegible]एवं

अतिरिक्त [illegible] मजिस्ट्रेट

टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

1231

Scanned by CamScanner